रूप-पत्र वि.क.-47

(उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 के नियम 41 का उपनियम (7) देखिये)

31 मार्च.. .. .. को समाप्त होने वाले / कर निर्धारण वर्ष के लिए नियम 41 के उपनियम (7) के अधीन भरी जाने वाले वार्षिक विवरणी -

1. व्यापारी का नाम व पता.. .. ..
2. विवरणी दाखिल करने वाले व्यक्ति का नाम और प्रास्थिति.. .. ..
3. कारखानों, कर्मशालाओं डिपो, शाखाओं, भंडारगारोंओं गोदामों का ब्यौरा पूरे पते के साथ.. .. ..
4. कारोबार के प्रमुख स्थान का पूरा पता यदि उत्तर प्रदेश के बाहर स्थित है.. .. ..
5. स्वतत्वधारी (प्रोपराइटर), पार्टनर और कारोबार में हित रखने वाले व्यक्तियों की आस्तियों के ब्यौरे के साथ पूरा नाम और पता.. .. ..

नाम	वर्तमान पता	स्थायी पता	आस्तियों का ब्यौरा

6. निकाला गया।
7. (क) बैंको का नाम उनकी शाखाओं के साथ
   (ख) खाता संख्या
   (ग) .. ..
8. यदि फर्म बन्द हो गई है तो बन्द होने का दिनांक
9. यदि फर्म के भागी या स्वत्वधारी (प्रोपराइटर) कोई अन्य कारबार चला रहे हैं तो ऐसे अन्य कारबार का पूरा नाम और उनके हित की सीमा
10. यदि फर्म का पुनर्गठन कर दिया गया है तो पुनर्गठन फर्म का पूरा नाम और पता सहित पुनर्गठन का दिनांक
11. जमा की गयी प्रतिभूति का ब्यौरा
    (क) प्रतिभूति का विवरण
    (ख) प्रतिभूति की धनराशि
    (ग) किन्हीं प्रतिभूतियां या गिरवी रखे गये प्रमाण-पत्र के ब्यौरे के साथ बैंक गारन्टी का ब्यौरा
12. निकाला गया।
13. पिछले दो वर्षो में निर्धारित क्रय-धन / विक्रय धन तथा निर्धारित कर का ब्यौरा-

(क) (1) वर्ष में विक्रय — निर्धारित कर

(क) कुल

(ख) करयोग्य — (क) विक्रय पर.. .. ..

(2) क्रय-

(क) कुल

(ख) कर योग्य — (ख) क्रय पर.. .. ..

योग — योग

(ख) (1) वर्ष में विक्रय — निर्धारित कर

(क) कुल

(ख) करयोग्य — (क) विक्रय पर.. .. ..

(2) क्रय-

(क) कुल

(ख) कर योग्य योग (ख) क्रय पर.. .. .. योग

14. ग्राहको से वसूल की गयी धनराशि.. .. .. जमा किया गया कर.. .. ..

15. निकाला गया।

16. निकाला गया।

17. क्रय और विक्रय कर ब्यौरा.. .. ..

		कुल	करयोग्य
रूप-पत्र 4 के अनुसार	(क) क्रय..		रूपये.. .. ..
	(ख)विक्रय..		रूपये.. .. ..
वार्षिक विवरणों के अनुसार	(क) क्रय..		रूपये.. .. ..
	(ख) विक्रय..		रूपये.. .. ..

यदि रूप-पत्र चार और रूप-पत्र वि.क.47 में बताये गये क्रय धन / विक्रय धन के मध्य भिन्नता है, तो भिन्नता की धनराशि के साथ भिन्नता के कारण.. .. ..

18. प्ररम्भिक स्टाक का ब्यौरा

वस्तु का नाम	धनराशि
(1)	रूपये.. .. ..
(2)	रूपये.. .. ..
(3)	रूपये.. .. ..
(4)	रूपये.. .. ..

19. अन्त स्टाक का ब्यौरा

वस्तु का नाम	धनराशि
(1)	रूपये.. .. ..
(2)	रूपये.. .. ..
(3)	रूपये.. .. ..
(4)	रूपये.. .. ..

20. कर निर्धारण वर्ष के दौरान क्रय का ब्यौरा:

(1) धारा 3-क के अधीन	(क) उत्तर प्रदेश के भीतर से .. ..(सूची संलग्न करें)
	(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर से .. ..(उत्तर प्रदेश में लागू कर की दर के अनुसार वर्गीकृत)
(2)धारा 3- घ के अधीन	(क) कर प्रदत्त.. .. ..
	(ख) कर-योग्य.. .. ..
(3) धारा 3-कककक के अधीन कर दायी	.. ..
(4) क्रय से भिन्न जैसे पारेषण या स्टाक अन्तरण या विक्रय एजेन्सी में बेंचे जाने के लिए प्राप्त माल	.. ..

21. वर्ष के दौरान विक्रय का ब्यौरा

(1) उत्तर प्रदेश के भीतर

(क)उत्तर प्रदेश के भीतर से क्रय किये गये माल का विक्रय

(एक) धारा 3-क के अधीन कर योग्य .. ..

(क) निर्माता या आयातकर्त्ता के बिल पर कर योग्य.. .. ..

(ख) उपभोक्ता को विक्रय के स्थान पर कर योग्य.. .. ..

(दो) धारा 3घ के अधीन कर योग्य (एक) रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों को .. ..

(दो) गैर रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों को .. ..

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर से क्रय किये गये माल का विक्रय

(एक) धारा 3- क के अधीन कर योग्य

(क) निर्माता या आयातकर्त्ता के बिन्दु पर कर योग्य.. .. ..

(ख) उपभोक्ता को विक्रय के स्थान पर कर योग्य.. .. ..

(दो) धारा 3घ के अधीन (एक) रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों को .. ..

(दो) गैर रजिस्ट्रीकृत व्यापारियों को .. ..

(ग) सेलिंग कमीशन एजेन्सी में माल का विक्रय .. ..

(एक) उत्तर प्रदेश के बाहर से प्राप्त हुए माल का

(दो) उत्तर प्रदेश के भीतर के माल का .. ..

(2)केन्द्रीय विक्रय: .. ..

(1) रूप-पत्र 'सी' के विरूद्ध

(2) रूप-पत्र 'डी' के विरूद्ध .. ..

(3) रूप-पत्र ई-1,ई-2 के विरूद्ध .. ..

(4) बिना रूप-पत्र के .. ..

(3) पारेषण विक्रय, उत्तर प्रदेश के बाहर स्टाक का अन्तरण .. ..

(1) रूप-पत्र 'एफ' के विरूद्ध

(2) रूप-पत्र 'एफ' के विरूद्ध .. ..

(4) भारत के बाहर निर्यात (1) फार्म 'एच' के विरूद्ध

(5) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 5(3) के अधीन माल का विक्रय (2) बिना फार्म

22. लौटाये गये माल का ब्यौरा :

(1) क्रय में (क) उत्तर प्रदेश के भीतर क्रय किये गये माल से धारा 3-घ के अधीन कर योग्य .. ..

(ख) उत्तर प्रदेश के बाहर से क्रय किये गये माल से.. .. ..

(ग) उक्त (क) को छोडकर राज्य के भीतर

क्रय किये गये माल से.. .. ..

(2) विक्रय में

(क) धारा 3-क के अधीन कर योग्य

(ख) धारा 3-घ के अधीन कर योग्य

(ग) केन्द्रीय विक्रय

23. स्तम्भ 20 और 21 में दिखाये गये कर योग्य और विक्रयों का ब्यौरा जो कर की दर के अनुसार वर्गीकृत है।

24. निम्नलिखित ब्यौरा के अनुसार कर से मुक्त या रियायती दर पर कर के दायी प्रदर्शित किये गये कर और विक्रय के ब्यौरे।

क.स.	माल का नाम	क्रय और विक्रय की धनराशि जो कर मुक्त है	धारा के अधीन
(क)	क्रय		
(ख)	विक्रय		
	(एक) उत्तर प्रदेश के भीतर		
	(दो) उत्तर प्रदेश के बाहर		
(ग)	पारेषण		
(घ)	निर्यात		
(ड़)	कर मुक्त		
(च)	5(3) के अधीन केन्द्रीय अधिनियम की धारा		

25. उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किये गये माल का ब्यौरा निम्नलिखित प्रोफार्मा में दिया जायेगा:

(क) प्रपत्र 31 के विरूद्ध

व्यापारी का नाम और पता जिससे आयात किया गया	वस्तु नाम	बिल संख्या और दिनांक	बिल की धनराशि	रूप-पत्र 31 की धनराशि	रूप-पत्र 31 की संख्या
1	2	3	4	5	6

(ख) बिना रूप-पत्र 31 के

व्यापारी का नाम और पता जिससे आयात किया गया	वस्तु नाम	बिल संख्या और दिनांक	बिल की धनराशि
1	2	3	4

26.सुसंगत लेखा वर्ष के व्यापार और लाभ-हानि के लेखे, तुलनपत्र और स्टाक तालिका की प्रतियाँ।

27.वर्ष के दौरान उपयोग हुये रूप-पत्रों का ब्यौरा 3-क, 3-ख, 3-ग, 3-घ, सी, डी, ई-1, ई-2, एफ तथा एच।

(क)प्रारम्भिक स्टाक.. .. ..

(ख) वर्ष के दौरान प्राप्त.. .. ..

(ग) वर्ष के दौरान प्रयोग की गई.. .. ..

(घ) अन्त स्टाक.. .. ..

(ड़) रूप-पत्रों के अन्तर्गत आने वाले माल की धनराशि.. .. ..

28. पिछले तीन वर्षो के दौरान निर्धारित आय, आयकर के निर्धारण आदेशों के प्रतियों के साथ।

29. निम्नलिखित के रूप में भुगतान की गई धनराशि-

(क) मण्डी शुल्क

(ख) आबकारी शुल्क

(ग) विद्युत प्रभार

30.लेखा कालविधि

31. निकाला गया

दिनांक.. .. ..

हस्ताक्षर.. .. ..

पूरा पता.. .. ..

पता.. .. ..

प्रास्थिति.. .. ..